



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा.सं.20-16/8/2020-प्रशिक्षण-नौमनि

दिनांक: 28.01.2021

नौमनि आदेश संख्या 2021 का 07

नौमनि आदेश संख्या 27/2020 एवं 37/2020 का अनुशेष

विषय: फोटो/हस्ताक्षर का अद्यतनीकरण एवं सत्यापन हेतु प्रक्रिया

1. जबकि, निदेशालय ने ई-शिक्षण, केंद्रीय उपस्थिति प्रणाली एवं निकासी परीक्षा में चेहरे की पहचान हेतु उम्मीदवारों की फोटो एवं हस्ताक्षर को अद्यतन करने के लिए विस्तृत अनुदेश एवं एसओपी जारी की थी।
2. जबकि, निदेशालय ने ई-गवर्नेंस प्रणाली पर बैच विवरण अपलोड करते समय उम्मीदवारों का सही डेटा अपलोड करने का दायित्व एमटीआई को देते हुए दिनांक 01.10.2020 का नौमनि आदेश सं 27/2020 जारी किया है। आगे, यूआरएल का प्रयोग करते हुए समुद्रकर्मों के प्रोफाइल में दिये गए फोटो के साथ उम्मीदवारों को उनकी फोटो की जांच करने की अतिरिक्त सुविधा भी प्रदान की है।
3. जबकि, निदेशालय ने दिनांक 21.10.2020 को नौमनि आदेश सं 31/2020 जारी किया है जहां समुद्रकर्मों के प्रोफाइल में अपलोड किए गए फोटो के सत्यापन हेतु नौमनि आदेश सं 27/2020 के अनुच्छेद 4.1 में निर्दिष्ट यूआरएल को एक नए यूआरएल: <http://220.156.188.229> से बदला गया है।
4. जबकि, निदेशालय ने समुद्रकर्मों के प्रोफाइल के अद्यतन हेतु परिशोधित प्रक्रिया के लिए दिनांक 10.11.2020 का नौमनि आदेश सं 37/2020 जारी किया है।
5. निदेशालय के ध्यान में आया है कि निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए उपर्युक्त दिए गए यूआरएल पर अपलोड किए गए फोटो के मामलों की संख्या की जांच नहीं हुई है। इस समस्या का निदेशालय के तकनीकी टीम द्वारा जांच किया गया और निम्नानुसार संभावित कारण पहचाने गए:
i) अपलोड किए गए फोटो की गुणवत्ता (क्वालिटी) ठीक नहीं है और चेहरे की पहचान हेतु प्रयोग के लिए योग्य नहीं है और अपलोड किया गया फोटो नौमनि आदेशों के माध्यम से जारी किए गए एसओपी के अनुसार नहीं है।

ii) जांच प्रक्रिया के दौरान उपयोग में लाए गए साधन (कम्प्यूटर या लैपटॉप का कैमरा) की गुणवत्ता (क्वालिटी) ठीक नहीं है। यह साधन उम्मीदवार की अच्छी फोटो नहीं निकाल पा रहे हैं जिसके कारण प्रणाली द्वारा फोटो को अस्वीकार कर दिया जाता है।

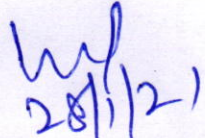
iii) अपर्याप्त प्रकाश की स्थिति में लिए गए फोटो की गुणवत्ता ठीक नहीं है और प्रणाली आईएनडीओएस (INDOS) फोटो के साथ इसका सत्यापन नहीं कर पाई है।

iv) फोटो का गलत तरीके से अपलोड करने के मामले बढ़ गए हैं एवं यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि उम्मीदवार को सही प्रक्रिया का पालन करना है।

v) इसको ध्यान में रखते हुए, नौमनि ने फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया को ज़्यादा प्रभावी बनाने का भी निर्णय लिया है और समुद्रकर्मियों के चेहरे की पहचान हेतु एक नई प्रक्रिया विकसित की है।

6. नौमनि आदेश सं 37/2020 के अनुच्छेद 8.7 एवं 8.8 के आंशिक आशोधन में निदेशालय ने फोटो या हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु परिवर्तन निवेदन करने के लिए नई प्रक्रिया विकसित की है। उम्मीदवार इस यूआरएल <http://220.156.188.229/> में प्रवेश द्वारा इन सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। अनुलग्नक में विस्तृत प्रक्रिया को स्क्रीन शॉट्स के साथ समझाया गया है।

7. यह चेतावनी दी जाती है कि ई-शिक्षण एवं ऑनलाइन निकासी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवार उनके फोटो या हस्ताक्षर न बदलें।


(अमिताभ कुमार)

नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव,
भारत सरकार